

## वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत।

बलरामपुर जिले के बलरामपुर वनमंडल अंतर्गत जोगियानी -रामनगर, रामचंद्रपुर-वाड़फनगर, वाड़फनगर-डांडकरंवा, डांडकरंवा -शारदापुर, पेंडारी-इकनारा, रामनगर-सरुवत, बसंतपुर-बेलकुर्ता, रामानुजगंज- रामचंद्रपुर, महावीरगंज-त्रिकुण्डा, शारदापुर-लुरगीकला, रामानुजगंज-बलरामपुर, बलरामपुर-बरियों, बलरामपुर - दातरम, सेमरिया-बाता, दातरम-भदर, डीपाडीहकला-करकली पश्चिम, उम्को-कोठली, कुसमी -हराडीपा, कुसमी-हंसपुर, नेमना-वाड़फनगर, मोहरसोप-इंजानी, फुलीडूमर-छ.ग./उ.प्र. बार्डर, वाड़फनगर-बसंतपुर, महादेवपुर-वीरेन्द्रनगर, पड़ौली-मानिकपुर, झलरिया-प्रतापपुर, भेण्डरी- अतौरी, प्रतापपुर-केरता, राजपुर-शंकरगढ़, शंकरगढ़-बेलकोना, पुटसुरा-छ.ग./झारखण्ड बार्डर मुख्य मार्गों के समानांतर कुल 685.620 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ-वे (RoW) अंतर्गत आष्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु आरक्षित वनभूमि 0.559 हेक्टेयर, संरक्षित वनभूमि 9.205 हेक्टेयर एवं राजस्व वनभूमि 1.434 हेक्टेयर कुल रकबा 11.198 हेक्टेयर वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 (FCA 1980) के तहत गैर वानिकी प्रयोजन/प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित है।

प्रस्ताव में वन्यप्राणी परियोजना आवश्यक नहीं होने के कारण प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) के अभिमत की आवश्यकता नहीं है।



**Vivekanand Jha**  
I.F.S.  
Divisional Forest officer  
Balrampur Division, Balrampur



(अमन कुमार सिंह)

महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)

जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड  
चतुर्थ तल, अम्बुजा मॉल, विधानसभा रोड,  
मोवा (सड़क), रायपुर (छ.ग.)